# फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2021/116 बअनवान दलपतसिंह बनाम नरपतसिंह वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 18/11/24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये ग्राम बेडा पटवार हल्का बेडा के खसरा नंबर 1053, 1078, 1084, 2464, 2465/5001, 2465/1, 2469, 2477, 2479 कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.71 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से बंट की भूमि होने से वादी व प्रतिवादी सं 1 का आधा–आधा हिस्सा आता है। वादी अपने हिस्से बंट की भूमि में साफ–सफाई, खडाई, गुढाई करने जाता है तो प्रतिवादी सं 1 से 6 मारपीट को उतारू होते है तथा वादी की भूमि पर की गई फसल को भी पशुओ के द्वारा नुकसान पहुंचा देते है जिससे वादी के हिस्से बंट की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे इस हेतू प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की गई। वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति प्रदर्श ईएक्स–1 तथा नक्शा की प्रति प्रदर्श ईएक्स–2 एवं बतौर मौखिक साक्ष्य वादी स्वयं के बयान कराये गये। प्रतिवादी पक्ष द्वारा बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थिति नही दी गई। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन के पश्चात वादग्रस्त भूमि मौजा बेडा के खसरा नंबर 1053 रकबा 0.40 हैक्टर, 1078 रकबा 0.35 हैक्टर, 1084 रकवा 0.64 हैक्टर का 1/4 हिस्सा, 2465 रकबा 0.40 हैक्टर का 1/2 हिस्सा, 2464/5001 रकबा 0.52 हैक्टर का 1/2 हिस्सा, 2465/1 रकबा 0.09 हैक्टर, 2469 रकबा 0.67 हैक्टर, 2477 रकबा 0.47 हैक्टर, 2479 रकबा 0.17 हैक्टर का 1/2 हिस्सा कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.71 हैक्टर वादी के हक हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी सं 1 से 6 किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे तथा फसल की बुवाई करने में रूकावट नही करे तथा फसल पकने पर जबरदस्ती नही ले जावें एवं कुंए के पानी से जमीन की सिंचाई की जाने में रूकावट पैदा नही करे। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के विरूद्ध जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>सहायक कलक्टर एवं पदेन<br>उपखण्ड अधिकारी, बाली | |

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)**
**बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.**

**वादी :–**

दलपतसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत
निवासी ब्रम्हपुरी यादवों का वास (मौहल्ला) बेडा, तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. नरपतसिंह पुत्र अचलसिंह,
2. दाकुकँवर उर्फ मुन्नी पत्नि नरपतसिंह,
3. रमेशसिंह पुत्र नरपतसिंह,
4. रेखा कँवर पत्नि रमेशसिंह,
5. हनुमानसिंह उर्फ बन्टुसिंह पुत्र नरपतसिंह,
6. रेखा कँवर पत्नि हनुमानसिंह उर्फ बन्टुसिंह, जाति राजपूत (यादव), निवासी ब्रम्हपुरी यादवों का वास (मौहल्ला) बेडा, तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
7. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार,

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2021/116**
**वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व पैरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा पटवार हल्का बेडा के खसरा नंबर 1053, 1078, 1084, 2464, 2465/5001, 2465/1, 2469, 2477, 2479 कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.71 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से वादी के हक हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी सं 1 से 6 किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे तथा फसल की बुवाई करने में रूकावट नही करे तथा फसल पकने पर जबरदस्ती नही ले जावें एवं कुंए के पानी से जमीन की सिंचाई की जाने में रूकावट पैदा नही करे। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के विरूद्ध जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-11-24 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner